1/3

SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी.बी.नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

No. SB/MKT/CAL/NSWS/03/2026-2029/610 **Date: 07/08/2026**

CORRIGENDUM

Sub: Notification dated 15.07.2026 inviting applications for grant and renewal of Cardamom Auctioneer Licences for the Block Period 2026–2029 through the National Single Window System (NSWS) – Amendment of certain provisions – Reg.

Reference is invited to the Notification dated 15.07.2026 published by the Spices Board inviting applications for the grant and renewal of Cardamom Auctioneer Licences for the Block Period 2026–2029 through the National Single Window System (NSWS).

Subsequent to the publication of the Notification, representations were received from the existing licensed auctioneers regarding certain provisions contained therein.

Accordingly, the following modifications shall be read as part of the Notification dated 15.07.2026:

1. Grant of New Auctioneer Licences

The following provision shall be incorporated under the General Conditions of the Notification:

"The Board shall, in the first instance, consider the applications for renewal of licences of the existing auctioneers based on the evaluation criteria prescribed in this Notification, the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, and other applicable provisions. Applications for the grant of new auctioneer licences shall thereafter be considered only after a comprehensive assessment of the prevailing auction arrival pattern, the adequacy of the existing auction infrastructure and the availability of auction slots within the e-auction platform managed by the Board and only where such assessment establishes, in the opinion of the Spices Board, the necessity, operational feasibility and public interest for induction of additional auctioneers."

2. Annexure II. 2. Bank Guarantee Requirement

The provisions relating to Bank Guarantee Requirement contained in the Notification shall stand substituted by the following:

"Without prejudice to the provisions of the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, every auctioneer shall submit and maintain a minimum Bank Guarantee (BG) in favour of the Spices Board throughout the validity period of the licence.

As per Rule 10.1(a) of the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, as amended in 2018, for e-auction, the applicant shall provide a security deposit in the form of a Bank Guarantee equivalent to the average auction sale value of cardamom in one auction during the immediate

preceeding block period of three years, for the block period for which the applicant desires to obtain the auctioneer licence."

2. Annexure 2.6. The provisions relating to Infrastructure Requirements shall stand modified as follows:

a) The applicant shall maintain adequate fire safety arrangements, valid Fire Safety Compliance Certificates, insurance coverage, security measures and hygienic facilities for the Main Godown.

b) Every Pooling/Collection Centre shall maintain adequate fire safety measures and hygienic conditions.

c) Every Pooling/Collection Centre shall be equipped with a computer,or laptop or tablet or mobile device or any other electronic device with internet connectivity for implementation of online pooling, traceability systems, crop receipt generation, electronic documentation and other related digital activities.

d) Companies applying for renewal need to have separate infrastructure like Godown , pooling centres and staff to prevent cartelization and should not be utilized for any other purpose.

3. Annexure III, Sub-clause 5: Exclusivity of Auction Operations: The auctioneer, including its promoters, partners, directors and key managerial personnel or beneficial owners shall not engage in , promote, or be associated with any parallel, unregulated, or private auction arrangements, trading platforms, or similar mechanisms ,that require a licence issued by the Board and conflict with or undermine the regulated auction system of the Spices Board.

4. Annexure V D. : Conflict of interest: The applicant, after obtaining an Auctioneer Licence from the Spices Board, shall not engage in, promote, or be associated with any unauthorised, parallel or unregulated auction mechanism or adopt any unfair trade practice that may affect the fairness, transparency or integrity of the auction system regulated by the Spices Board.

5. Annexure II.12 and Annexure V: Declaration and Undertaking (separate format for renewal and fresh application . Accordingly changes to be made in the format of the Declaration and Undertaking of Annexure V)

Every applicant shall submit a self-declaration along with the application, duly signed by the authorised signatory, in the prescribed format, as applicable below:

A. Applicants for Renewal of Existing Auctioneer Licence

Every applicant seeking renewal of an existing Auctioneer Licence shall declare that:

- The applicant complies with all applicable statutory, financial, taxation and regulatory requirements and shall continue to comply with the same during the validity of the licence;
- All information furnished in the application and supporting documents is true, complete and not misleading, and no material facts have been suppressed;
- Farmer/seller funds shall not be diverted for unrelated business purposes;
- Separate books of accounts relating to auction operations shall be maintained;
- There are no wilful default proceedings against the applicant;
- The applicant consents to financial verification, inspection or audit by the Spices Board or any agency authorised by the Board;

- The applicant shall continue to comply with the provisions of the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987 and the conditions of licence issued by the Spices Board from time to time.

B. Applicants for Grant of Fresh Auctioneer Licence

Every applicant seeking grant of a new Auctioneer Licence shall, in addition to the declarations specified above, also declare that:

- There is no conflict of interest, including any direct or indirect ownership, control or association with any other licensed auctioneer or with any entity engaged in any private or unregulated auction mechanism requiring a licence under the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987
- The applicant satisfies all eligibility conditions prescribed under the Notification and the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987.

Except to the extent modified above, all other provisions of the Notification dated 15.07.2026 shall remain unaltered and shall continue to be in force.

The last date for submission of application in the NSWS portal is 13/09/2026.

DIRECTOR (MARKETING)

SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

No. SB/MKT/CAL/NSWS/03/2026-2029/1473 **Date: 15.07.2026**

NOTICE

Sub: Invitation of Applications for Grant and Renewal of Cardamom Auctioneer Licences through the National Single Window System (NSWS) for the Block Period 2026–2029 – reg.

****

The Spices Board invites applications for the grant and renewal of Auctioneer Licences for conducting auctions of Indian Cardamom (Small and Large) for the block period from **1st September 2026 to 31st August 2029,** in accordance with the provisions of the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987 and guidelines issued by the Board from time to time.

Applications shall be submitted through the National Single Window System (NSWS) portal within the prescribed timelines.

Definition for Cardamom auction: Auction means a system of conducting sale of cardamom through the platform provided and approved by the Spices Board and includes manual auction, e-auction, and online auction.

Definition for Cardamom auctioneer: Auctioneer means a person engaged in the business of conducting cardamom auctions.

General Conditions:

1. The last date for submission of applications shall be **30 (thirty) days** from the date of publication of this notice by **14.08.2026**. Once the procedure for allotting the e-auctioneer licence is completed for the block period (2026-29), and the auction slots are allotted, no fresh applications may be considered for the said block period, except in cases where vacancies arise or as decided by the Board in public interest.

2. All stakeholders intending to obtain a "Cardamom Auctioneer Licence" are requested to submit their applications online through the National Single Window System (NSWS) portal. The NSWS portal is expected to be active in a week time. Accordingly, required documents shall be kept ready in advance towards seamless submission of application.

Please refer the following link:

E-auctioneer License: https://www.nsws.gov.in/portal/approval-details/ministry-of-commerce-and-industry/department-of-commerce/spices-board-cardamom-auctioneer-license-e-auctioneer

Manual Auctioneer License: https://www.nsws.gov.in/portal/approval-details/ministry-of-commerce-and-industry/department-of-commerce/spices-board-cardamom-auctioneer-license-manual-auctioneer

Before proceeding to file online application for Cardamom Auctioneer Licence, all are advised to read the user manual for registration in NSWS for which it may be referred to at the follwing link: https://www.nsws.gov.in/portal/user-guide .

फोन / Phone : 0484 2333610-616, 2347965, 2348417, 2341776
इ-मेइल / Email : mail.sboard@gov.in वेबसाइट / Website : www.indianspices.com

3. **Mandatory requirements:** User manual of filing application for Cardamom Auctioneer Licence **(Annex I)** ; guidelines for auctioneer licence **(Annex II)**, terms and conditions of Auctioneer licence **(Annex III)**, Documents to be uploaded online **(Annex IV)**, Declaration And Undertaking By Applicant For Grant/Renewal of Auctioneer Licence **(Annex V)** issued in the Board's portal https://www.indianspices.com/marketing/auctioneer.html

4.The application fee shall be made through the Payment Gateway of NSWS. The applicable transaction bank charges will be extra and shall be borne by the applicant.

5.The Submission of application does not confer any right to grant of licence. Licence will be awarded subject to the verification of the application and documents and fulfillment of the criteria fixed for awarding the Licence.

6. If any deficiency or clarification is required, the applicant shall respond within 7 days from the date of query raised in the NSWS portal. Failure to respond within the stipulated time shall result in automatic rejection of the application without further notice. Additional 7 days will be provided only on case to case basis depending on the genuineness of the request made by the applicant.

7. If applications found incomplete, non-submission of required documents and incorrect documents shall be rejected and no correspondence will be entertained in this regard. Failure to furnish complete information as mentioned in the guidelines, documents or submission of a proposal not substantially responsive to the guidelines and required documents in every respect will be at the risk of the applicant and may result in rejection of the application.

8. The Spices Board reserves the right to accept or reject any application based on eligibility, verification, and compliance with the prescribed criteria. The Spices Board may also require submission of additional financial, statutory, operational, or compliance-related documents including bank statements, GST return filing status, banker's conduct certificate, cash flow statements, details of statutory dues, debtor ageing statements, or such other records as may be considered necessary for assessment of the applicant's financial capability and settlement capacity. By applying, each applicant shall be deemed to acknowledge that it has carefully read the Guidelines and annexure thereto, if any, and has fully informed itself as to all existing conditions and limitations. The selection of the applicants will be in accordance with the norms set out in the Guidelines.

9. The decision of the Spices Board regarding the award of the auction licence shall be final and binding subject to applicable rules and principles of natural justice. The Board reserves the right to amend or modify any of the eligibility conditions or reject the applications without assigning any reason or may call fresh application without assigning any reason whatsoever, if it appears appropriate in the public interest.

10. The applicant shall comply with the provisions of Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987 (hereinafter referred to as "CLMR, 1987") and its subsequent amendments.

11. The Spices Board reserves the right to interpret, clarify, or relax any of the provisions of these Guidelines in public interest, for reasons to be recorded in writing.

12. The Terms and Conditions of the Auctioneer Licence contained in Annex III shall form part of license conditions and shall be binding on the license.

DIRECTOR (MKTG)

SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी.बी.नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

सं.एसबी/विपणन/सीएएल/एनएसडब्लियुएस/03/2026-2029/610 **दिनांक :07/08/2026**

शुद्धिपत्र

विषय: दिनांक 15.07.2026 की अधिसूचना, जिसमें राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) के माध्यम से वर्ष 2026-2029 की ब्लॉक अवधि के लिए इलायची नीलामीकर्ता लाइसेंस के अनुदान और नवीनीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं - कुछ प्रावधानों में संशोधन – बाबत ।

***

स्पाइसेस बोर्ड द्वारा दिनांक 15.07.2026 को प्रकाशित अधिसूचना का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) के माध्यम से ब्लॉक अवधि 2026-2029 के लिए इलायची नीलामीकर्ता लाइसेंस के अनुदान और नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, उसमें निहित कुछ प्रावधानों के संबंध में मौजूदा लाइसेंस प्राप्त नीलामीकर्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

तदनुसार, दिनांक 15.07.2026 की अधिसूचना के भाग के रूप में निम्नलिखित संशोधनों को पढ़ा जाएगा:

1. नए नीलामीकर्ता लाइसेंसों का अनुदान

अधिसूचना की सामान्य शर्तों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान को शामिल किया जाएगा:

"बोर्ड सर्वप्रथम इस अधिसूचना, इलायची (लाइसेंसिंग एवं विपणन) नियम, 1987 और अन्य लागू प्रावधानों में निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर मौजूदा नीलामीकर्ताओं के लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु आवेदनों पर विचार करेगा। इसके बाद, नए नीलामीकर्ता लाइसेंसों के अनुदान हेतु आवेदनों पर विचार केवल प्रचलित नीलामी आगमन पैटर्न, मौजूदा नीलामी अवसंरचना की पर्याप्तता और बोर्ड द्वारा प्रबंधित ई-नीलामी मंच के भीतर नीलामी स्लॉट की उपलब्धता के व्यापक मूल्यांकन के बाद ही किया जाएगा, और केवल तभी जब ऐसा मूल्यांकन मसाला बोर्ड की राय में अतिरिक्त नीलामीकर्ताओं को शामिल करने की आवश्यकता, परिचालन व्यवहार्यता और जनहित को स्थापित करता हो।"

2. अनुलग्नक II. 2. बैंक गारंटी की आवश्यकता

अधिसूचना में निहित बैंक गारंटी आवश्यकता से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे:
" इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक नीलामीकर्ता लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान मसाला बोर्ड के पक्ष में न्यूनतम बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करेगा और उसे बनाए रखेगा।
इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987, 2018 में संशोधित, के नियम 10.1(ए) के अनुसार, ई-नीलामी के लिए, आवेदक को बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा राशि प्रदान करनी होगी। यह राशि उस ब्लॉक अवधि के

फोन / Phone : 0484 2333610-616, 2347965, 2348417, 2341776
इ-मेइल / Email : mail.sboard@gov.in वेबसाइट / Website : www.indianspices.com

लिए इलायची के औसत नीलामी बिक्री मूल्य के बराबर होगी, जिसके लिए आवेदक नीलामीकर्ता का लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है; यह औसत मूल्य ठीक पहले की तीन वर्षों की ब्लॉक अवधि में हुई किसी एक नीलामी के आधार पर तय किया जाएगा।"

2. अनुलग्नक 2.6. अवसंरचना संबंधी अपेक्षाओं के प्रावधान निम्नानुसार संशोधित किए जाएंगे:

क) आवेदक को मुख्य गोदाम के लिए पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, वैध अग्नि सुरक्षा अनुपालन प्रमाण पत्र, बीमा कवरेज, सुरक्षा उपाय और स्वच्छता सुविधाएं बनाए रखनी होंगी।

ख) प्रत्येक संग्रहण केंद्र में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखी जाएगी।

ग) प्रत्येक पूलिंग/संग्रह केंद्र ऑनलाइन पूलिंग, ट्रेसिबिलिटी सिस्टम, फसल रसीद तैयार करने, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ीकरण और अन्य संबंधित डिजिटल गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल डिवाइस या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से सुसज्जित होगा।

घ) नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के पास कार्टेलाइजेशन को रोकने के लिए गोदाम, पूलिंग सेंटर और स्टाफ जैसे अलग-अलग बुनियादी ढांचे होने चाहिए और इनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

3. अनुलग्नक III, उप-खंड 5: नीलामी संचालन की विशिष्टता: नीलामीकर्ता, जिसमें उसके प्रमोटर, साझेदार, निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या लाभकारी स्वामी शामिल हैं, किसी भी समानांतर, अनियमित या निजी नीलामी व्यवस्था, व्यापार मंच या इसी तरह के तंत्र में संलग्न नहीं होंगे, उसे बढ़ावा नहीं देंगे या उससे संबद्ध नहीं होंगे, जिसके लिए बोर्ड द्वारा जारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है और जो मसाला बोर्ड की विनियमित नीलामी प्रणाली के साथ टकराव करता है या उसे कमजोर करता है।

4. अनुलग्नक V D.: हितों का टकराव: आवेदक, मसाला बोर्ड से नीलामीकर्ता लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, किसी भी अनधिकृत, समानांतर या अनियमित नीलामी तंत्र में संलग्न नहीं होगा, उसे बढ़ावा नहीं देगा या उससे संबद्ध नहीं होगा, या कोई भी अनुचित व्यापार प्रथा नहीं अपनाएगा जो मसाला बोर्ड द्वारा विनियमित नीलामी प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता या अखंडता को प्रभावित कर सकती है।

5. अनुलग्नक II.12 और अनुलग्नक V: घोषणा और वचनबद्धता (नवीनीकरण और नए आवेदन के लिए अलग-अलग प्रारूप। तदनुसार अनुलग्नक V की घोषणा और वचनबद्धता के प्रारूप में परिवर्तन किए जाने हैं)
प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ एक स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा, जिस पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों, और यह निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए, जैसा कि नीचे लागू होता है:

क. मौजूदा नीलामीकर्ता लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदक

मौजूदा नीलामीकर्ता लाइसेंस के नवीनीकरण के इच्छुक प्रत्येक आवेदक को यह घोषित करना होगा कि:

- आवेदक सभी लागू वैधानिक, वित्तीय, कराधान और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान भी इनका अनुपालन जारी रखेगा;
- आवेदन और सहायक दस्तावेजों में दी गई सभी जानकारी सत्य, पूर्ण और विश्वसनीय है।

यह भ्रामक नहीं है, और कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए नहीं गए हैं;

- किसान/विक्रेता निधि का उपयोग असंबंधित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा;
- नीलामी संचालन से संबंधित अलग-अलग लेखा-पुस्तकों का रखरखाव किया जाएगा;
- आवेदक के खिलाफ जानबूझकर चूक करने की कोई कार्यवाही नहीं चल रही है;
- आवेदक स्पाइसेस बोर्ड या बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी भी एजेंसी द्वारा वित्तीय सत्यापन, निरीक्षण या लेखापरीक्षा के लिए सहमति देता है;

- आवेदक को इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 के प्रावधानों और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करना जारी रखना होगा।

ख. नए नीलामीकर्ता लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदक

नए नीलामीकर्ता लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक आवेदक को, ऊपर निर्दिष्ट घोषणाओं के अतिरिक्त, यह भी घोषित करना होगा कि:

- हितों का कोई टकराव नहीं है, जिसमें किसी अन्य लाइसेंस प्राप्त नीलामीकर्ता या किसी ऐसी संस्था के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व, नियंत्रण या संबंध शामिल है, जो इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता वाले किसी भी निजी या अनियमित नीलामी तंत्र में संलग्न है।
- आवेदक अधिसूचना और इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 के तहत निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है।

उपरोक्त संशोधनों को छोड़कर, दिनांक 15.07.2026 की अधिसूचना के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे और लागू रहेंगे।

एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **13/09/2026** है।

प्रभारी निदेशक (विपणन)
DIRECTOR (MARKETING) I/C
स्पाइसेस बोर्ड / SPICES BOARD
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India
कोच्ची / KOCHI - 682025

SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी.बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

सं.एसबी/विपणन/सीएएल/एनएसडब्लियूएस/03/2026-2029/1473 **दिनांक :15.07.2026**

सूचना

विषय: वर्ष 2026-2029 की ब्लॉक अवधि के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) के माध्यम से इलायची नीलामीकर्ता लाइसेंस के अनुदान और नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करना - बाबत।

***

स्पाइसेस बोर्ड, इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 के प्रावधानों और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 सितंबर 2026 से 31 अगस्त 2029 की अवधि के लिए भारतीय इलायची (छोटी और बड़ी) की नीलामी आयोजित करने हेतु नीलामीकर्ता लाइसेंस के अनुदान और नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

इलायची की नीलामी की परिभाषा: नीलामी का अर्थ है स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदान और अनुमोदित प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलायची की बिक्री आयोजित करने की एक प्रणाली, जिसमें मैनुअल नीलामी, ई-नीलामी और ऑनलाइन नीलामी शामिल है।

इलायची नीलामीकर्ता की परिभाषा: नीलामीकर्ता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इलायची की नीलामी आयोजित करने के व्यवसाय में लगा हुआ है।

सामान्य शर्तें:

1. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से यानी 14.08.2026 से 30 (तीस) दिन है। ब्लॉक अवधि (2026-29) के लिए ई-नीलामीकर्ता लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो जाने और नीलामी स्लॉट आवंटित हो जाने के बाद, उक्त ब्लॉक अवधि के लिए कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां रिक्तियां उत्पन्न हों या बोर्ड द्वारा जनहित में निर्णय लिया गया हो।

2. इलायची नीलामी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करें। एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल एक सप्ताह में सक्रिय होने की उम्मीद है। तदनुसार, आवेदन प्रक्रिया को सुचारू रूप से जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

कृपया निम्नलिखित लिंक देखें:

ई-नीलामी लाइसेंस: https://www.nsws.gov.in/portal/approval-details/ministry-of-commerce-and-Industry/department-of-commerce/spices-board-cardamom-auctioneer-license-e-auctioneer

मैनुअल नीलामीकर्ता लाइसेंस: https://www.nsws.gov.in/portal/approval-details/ministry-of-commerce-and-industry/department-of-commerce/spices-board-cardamom-auctioneer-license-manual-auctioneer

- इलायची नीलामीकर्ता लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने से पहले, सभी को एनएसडब्ल्यूएस में पंजीकरण के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल पढ़ने की सलाह दी जाती है, जिसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: https://www.nsws.gov.in/portal/user-guide ।

3. **अनिवार्य अपेक्षाएँ:** इलायची नीलामीकर्ता लाइसेंस के लिए आवेदन दाखिल करने की उपयोगकर्ता पुस्तिका (अनुलग्नक I), नीलामीकर्ता लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश (अनुलग्नक II), नीलामीकर्ता लाइसेंस के निबंधन और शर्तें (अनुलग्नक III), ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ (अनुलग्नक IV), नीलामीकर्ता लाइसेंस के अनुदान/नवीनीकरण के लिए आवेदक द्वारा घोषणा और वचनबद्धता (अनुलग्नक V) जो बोर्ड के पोर्टल https://www.indianspices.com/marketing/auctioneer.html पर जारी की गई हैं।

4. आवेदन शुल्क का भुगतान एनएसडब्ल्यूएस के पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाएगा। लागू लेनदेन बैंक शुल्क अतिरिक्त होंगे और आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे।

5. आवेदन जमा करने से लाइसेंस प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। लाइसेंस आवेदन और दस्तावेजों के सत्यापन और लाइसेंस प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अधीन ही प्रदान किया जाएगा।

6. यदि किसी कमी या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो आवेदक को NSWS पोर्टल पर प्रश्न उठाने की तिथि से 7 दिनों के भीतर उत्तर देना होगा। निर्धारित समय के भीतर उत्तर न देने पर आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के स्वतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध की प्रामाणिकता के आधार पर, मामले-दर-मामले के आधार पर अतिरिक्त 7 दिन दिए जा सकते हैं।

7. यदि आवेदन अपूर्ण पाए जाते हैं, आवश्यक दस्तावेज़ जमा नहीं किए गए हैं या गलत दस्तावेज़ जमा किए गए हैं, तो आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। दिशा-निर्देशों में उल्लिखित संपूर्ण जानकारी, दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफलता या दिशा-निर्देशों और आवश्यक दस्तावेज़ों के अनुरूप न होने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत करने का जोखिम आवेदक का होगा और इसके परिणामस्वरूप आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

8. स्पाइसेस बोर्ड पात्रता, सत्यापन और निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के आधार पर किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। स्पाइसेस बोर्ड आवेदक की वित्तीय क्षमता और निपटान क्षमता के आकलन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अतिरिक्त वित्तीय, वैधानिक, परिचालन या अनुपालन संबंधी दस्तावेज़, जिनमें बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की स्थिति, बैंकर का आचरण प्रमाण पत्र, नकदी प्रवाह विवरण, वैधानिक देय राशियों का विवरण, देनदार आयु विवरण या ऐसे अन्य रिकॉर्ड शामिल हैं, प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। आवेदन करके, प्रत्येक आवेदक यह स्वीकार करता है कि उसने दिशा-निर्देशों और उनके अनुलग्नकों (यदि कोई हो) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और सभी मौजूदा शर्तों और सीमाओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली है। आवेदकों का चयन दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगा।

9. नीलामी लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, जो लागू नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधीन होगा। बोर्ड को पात्रता शर्तों में संशोधन या परिवर्तन करने, बिना कोई कारण बताए आवेदनों को अस्वीकार करने या जनहित में उचित प्रतीत होने पर बिना कोई कारण बताए नए आवेदन आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित है।

10. आवेदक इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 (जिसे आगे "सीएलएमआर, 1987" कहा जाएगा) और इसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

11. स्पाइसेस बोर्ड जनहित में इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या, स्पष्टीकरण या शिथिलीकरण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे।

12. अनुल्गनक - III में निहित नीलामीकर्ता लाइसेंस के निबंधन और शर्तें लाइसेंस की शर्तों का हिस्सा होंगी और लाइसेंस पर बाध्यकारी होंगी।

निदेशक (विपणन)